

जनपद बाराबंकी

दिनांक 09.09.2021

थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 92.2 लीटर अपमिश्रित शराब व अवैध रूप से अर्जित धनराशि 53311/-रुपये नकद बरामद -

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद के आदेशानुसार जनपद के समस्त थानों द्वारा अवैध मद्य निष्कर्षण एवं अवैध शराब परिवहन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ० अवधेश सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फतेहपुर श्री योगेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.09.2021 को प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदपुर खाला के नेतृत्व में थाना मोहम्मदपुर खाला पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कस्बा सूरतगंज से अभियुक्त धीरेन्द्र जायसवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम इण्टर कालेज थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 92.2 लीटर अपमिश्रित शराब व अन्य सामग्री तथा अवैध रूप से अर्जित धनराशि 53311/-रुपये नकद बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोहम्मदपुर खाला पर मु०अ०सं० 389/21 धारा 420/467/468/471/272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

धीरेन्द्र जायसवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम इण्टर कालेज थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

बरामदगी-

1. 92.2 लीटर अपमिश्रित शराब पावर हाउस ब्राण्ड
2. पावर हाउस ब्राण्ड 200 एमएल की 42 खाली शीशी
3. 82 अदद देशी शराब के पौवों की ढक्कन
4. 03 बण्डल क्यू०आर० कोड स्टीकर
5. 01 अदद सूजा लोहे का
6. अवैध रूप से कमाया हुआ 53311/-रुपये

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदपुर खाला श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जनपद बाराबंकी।
2. उ०नि० श्री धर्मेन्द्र नाथ मिश्र थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
3. का० सुभाषचन्द्र सरोज थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
4. आबकारी टीम